IN THE COURT OF LAND REFORM DEPUTY COLLECTOR SIMDEGA

SCHEDULE

Permission has been granted to sri .... नोवेल धनवार ....

S/O, W/O D/O स्व० सिमोन धनवार Village डिप्टीटोली ....

P.S .... सिमडेगा .... District Simdega to transfer the following land to

Sri .... ओलिम धनवार .... S/O,W/O D/O नोवेल राजेश धनवार

Village .... डिप्टीटोली .... P.S .... सिमडेगा ....

District Simdega by the L.R.D.C. Simdega in his order dated 22/4/17
in Rev.C.N.T case No .... 432 .... of 2016-17
U/S 46 C.N.T. Act,

Village	Thana No.	Khata No.	plot No	Area(in acres)	Value for Sale
गोतरा डिप्टीटोली	सिमडेगा 80	50	3524	1.84 ए० में से 0.07 ए०	मो० 270928=00 (दो लाख सत्तर हजार नौ सौ अठाईस रुपये मात्र)

चौहद्दी

उ० - इसी प्लॉट का अंश बारी देवनी मिंज
द० - कच्ची सड़क 80'
पू० - इसी प्लॉट का अंश गुड्डु मिंज
प० - प्लॉट नं० 3525 जुगल किशोर का बारी

Sd........

L.R.D.C.Simdega

Memo No. .... 355 (11) .... /Rev. Dated (Simdega the 22/4/17 .... 20...

Copy forwarded to the Sub Registrar, Simdega and Sri .... नोवेल धनवार .... पिता स्व० सिमोन धनवार ....

Village .... डिप्टीटोली .... P.S........ सिमडेगा .... District Simdega

For information and needful

कार्यालय उप समाहर्ता भूमि सुधार सिमडेगा

22/04/17

L.R.D.C Simdega

उप समाहर्ता
भू० सु० सिमडेगा

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमडेगा

अनुमति वाद संख्या 432 / 2016–17

श्री नोवेल धनवार ....आवेदक।

बनाम

झारखण्ड सरकार.................विपक्षी।

आदेश

आवेदक श्री नोवेल धनवार पिता स्व0 सिमोन धनवार ग्राम डिप्टीटोली थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत् बिकी हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र दायर किये हैं।

भूमि विवरण:–

मौजा	थाना	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकबा
गोतरा डिप्टीटोली	सिमडेगा	80	50	3524	1.84 ए0 में से 0.07 ए0

कुल रकबा (शब्दों में) सात डिसमील मात्र।

आवेदक अपनी खरीदगी जमीन को मकान निर्माण हेतु प्रस्तावित केता ओलिभ धनवार पिता नोवेल राजेश धनवार ग्राम डिप्टीटोली थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा (जाति मुण्डा) को भूमि बिकी कर रहे हैं। आम सूचना निर्गत की गई। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्रांक 261 दिनांक 20.4.17 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक की खरीदगी भूमि है। जिसके खतियानी रैयत जतरू उरॉव वो रींबू उरॉव वो सोमरा उरॉव वो मंगरा उरॉव पे0 डीम्बा उरॉव हैं। वर्तमान जमाबंदीदार नोवेल धनवार पिता स्व0 सिमोन धनवार हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तावित भूमि का मालगुजारी दिया जाता है। आवेदित भूमि के एक हिस्सेदार हैं। बिकेता एवं केता दोनों अनुसूचित जनजाति मुण्डा जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं। प्रस्तावित भूमि की बिकी के पश्चात आवेदक के पास शून्य एकड़ भूमि अवशेष बचता है।

भूमि स्वामित्त्व से संबधित कागजात में केवाला पटटा एवं लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत है जो अभिलेख में संलग्न है। केता की ओर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं0 जे0एच0आर0सी0 / 2017 / 33499 दिनांक 20.1.17 की छाया प्रति तथा जमीन का चौहदी भी प्रस्तुत किया है जो अभिलेख में संलग्न है।

आवेदक ने अपने बयान में कहा है कि मैं मौजा– गोतरा डिप्टीटोली थाना न0–80 थाना–सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न0–50 प्लॉट नं0 3524 रकबा 1.84 ए0 में से 0.07 ए0 जमीन को मकान निर्माण के लिये केता– ओलिभ धनवार पिता नोवेल

कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा

प्रतिलिपि कर्ता– ... 9.5.17 प्रतिलिपिकर्ता

तुलना कर्ता ... तुलनाकर्ता 9/05/17

19

राजेश धनवार ग्राम डिप्टीटोली थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा (जाति मुण्डा)को मो0 270928.00 रू0 (शब्दों में) दो लाख सत्तर हजार नौ सौ अठाईस रूपये मात्र में अपने खुशी राजी से विकी कर रहा हूँ। यह मेरी खरीदगी भूमि है। उक्त जमीन विकी करने के बाद मेरे पास खरीदगी जमीन शून्य एवं खतियानी जमीन 2.50 एकड़ शेष बचती है। बिकेत्ता एवं केत्ता दोनो अनुसूचित जनजाति के मुण्डा जाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना क्षेत्र के निवासी हैं।

आवेदक द्वारा भूमि बचत के संबंध में शपथ पत्र सी0एफ0 नं0 2938/17 दाखिल किया गया है। आवेदक का कहना है कि उनके हिस्से में खतियानी जमीन कुल 2.50 ए0 भूमि अवशेष बचती है।

अंचल अधिकारी, सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक के बयान के आधार पर मौजा– गोतरा डिप्टीटोली थाना न0–80 थाना–सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न0–50 प्लॉट नं0 3524 रकबा 1.84 ए0 में से 0.07 ए0 जमीन आवेंदक श्री नोवेल धनवार पिता स्व0 सिमोन धनवार ग्राम डिप्टीटोली थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा द्वारा केता ओलिभ धनवार पिता नोवेल राजेश धनवार ग्राम डिप्टीटोली थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विकी करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

22/04/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा ।

22/04/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

पुनश्चः तालिका तीन प्रतियों में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को एवं एक प्रति जिला निबंधन पदाधिकारी, सिमडेगा को भेजें।

22/04/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

P 5=00
F 7=00
AF 8=00
योग 13=00

Received one copy

प्रधान लिपिक

6-5-17 9.5-17

कार्यालय, अंचल अधिकारी सिमडेगा

पत्रांक 761

दिनांक 20/5/17

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी, सिमडेगा/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सिमडेगा ।

विषय :- छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम धारा 46 के अन्तर्गत जमीन हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में जाँच प्रतिवेदन ।

प्रसंग : अनुमति वाद संख्या 432 सन् 2016-17

1. विक्रेता के संबंध में प्रपत्र

1) क- आवेदक (हस्तान्तरणकर्ता) का नाम पिता का नाम/पूरा पता : नोवेल धनवार पिता स्व. सिमोन धनवार ग्राम - डिप्टी टोली थाना वो जिला - सिमडेगा

ख- जाति : मुण्डा

2) खतियानी रैयतों का नाम एवं आवेदक के साथ संबंध : जतरु उरांव वो रीझू उरांव वो सोमरा उरांव वो मंगरा उरांव पे. डोम्बा उरांव

3) जमीन्दारी विलियन के पश्चात् उक्त जमीन की जमाबंदी संख्या तथा जमाबंदी दार का नाम 6/XI : खाता न. 50 प्लाट न. 3524 रकबा 0.07 ए. नोवेल धनवार पिता स्व. सिमोन धनवार

4) वर्तमान जमाबन्दी संख्या/ जमाबन्दी दार का नाम : — तदैव —

5) वर्तमान जमाबन्दी को किस प्रकार भूमि हासिल हुआ : खरीदगी से

6) जमीन की मालगुजारी देने वाले रैयत का नाम : आवेदक

7) आवेदक तथा उक्त रैयत का सम्बन्ध : स्वयं

8) उक्त जमीन के कितने हिस्सेदार हैं तथा आवेदक का उक्त जमीन में वास्तविक हिस्सा स्वामित्व एवं दखल कब्जा : अकेला हिस्सेदार

9) क्या आवेदक बड़े भू-धारी के अथवा बड़े भूधारी के वंशज हैं, जिनके विरूद्ध लैण्ड शिलिंग का केश है : X

10) क - क्या उक्त जमीन भूदान की है : X

ख- लैण्ड सिलिंग के किसी वाद में सम्मिलित है : X

11) जमीन बेचने का आवश्यकता एवं औचित्य : मकान निर्माण हेतु

12) जमीन का किस्म एवं ब्यौरा :

ग्राम/थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	किस्म
गोंजरा 80 डिप्टीटोली	50	3524	0.07 ए. (1.84 ए. में से)	

13) जमीन का मूल्य जो अगल-बगल की उक्त किस्म जमीन बिक्री के अनुसार हो : 38,704=00/- प्रति डि.

14) जमीन का वर्त्तमान मूल्य : 270928=00/-

15) विक्रेता के हिस्से की कुल उपलब्ध भूमि : 0.07 ए.

16) बिक्री के बाद शेष भूमि : शून्य

अंचल अधिकारी सिमडेगा

प्रतिलिपि कर्ता [signature] 9.5.17 प्रतिलिपिक

तुलना कर्ता [signature] 9/05/17 तुलना लिपिक

(20)

(20)

एस.आर सिंह (मुद्रांक विक्रेता) सिमडेगा कोर्ट सिमडेगा

2. क्रेता के सम्बन्ध में

1) क- क्रेता का नाम/पिता का नाम घर का पूरा पता : ओलिम धनवार पिता - नोवेल राजेश धनवार ग्राम - डिब्री टोली थाना वो जिला - सिमडेगा

ख- जाति : मुण्डा

2) क्या क्रेता उसी ग्राम के निवासी हैं ? : विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक थाना के निवासी हैं।

3) जमीन खरीदने का कारण/आवश्यकता : गृह निर्माण हेतु ।

4) क्या उसके पिता या दादों के नाम से लैण्ड सिलिंग का वाद चला है : x

5) उसके पास तथा उनके परिवार के सभी सदस्यों के पास कुल जमीन कितनी है : —

6) यदि कोई शैक्षणिक या अन्य संस्था है-तो उसका ब्यौरा : x

7) उक्त शैक्षणिक संस्था या अन्य संस्था का अतिरिक्त जमीन क्रय करने की आवश्यकता/उद्देश्य औचित्य : x

8) उक्त शैक्षणिक या अन्य संस्था के कुल धारित जमीन की रकबा ब्यौरा : x

9) जिला शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा की शैक्षणिक संस्था के पास कुल कितनी जमीन है और अतिरिक्त कितनी जमीन उद्देश्य हेतु आवश्यकता है : x

10) अभ्युक्ति :

CO. Simdega
अंचल कर्म. के जांच प्रतिवेदन के आधार पर CNT Act के sec 46 के अन्तर्गत विधिमान्य है। अग्रेतर उचित कार्रवाई की जा सकती है।

(हस्ताक्षर)

(मुहर: जिला अवर निबंधक सिमडेगा)

महाशय,
विक्रेता एवं क्रेतिका दोनों एक थाना के निवासी हैं तथा अ.ज.जा. की श्रेणी में आते हैं। विक्रेता अपनी खरीदगी जमीन की बिक्री कर रहा है, बिक्री के पश्चात भूमि भूमिहीन नहीं होंगे। अग्रेतर कार्रवाई हेतु श्रीमान को प्रतिवेदन समर्पित।

(हस्ताक्षर) H.N.IV

अंचल अधिकारी
सिमडेगा

(मुहर: कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी)

प्रतिलिपि कर्ता (हस्ताक्षर) 9.5.17 पंजीयक

तुलना कार (हस्ताक्षर) 10/05/17 पंजीयक